संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क्र.प्राविवि / भा.यो. / संविसं / 2017 / 3565 – भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

प्रति,

1. संभागायुक्त, (समस्त), मध्य प्रदेश।
2. कलेक्टर (समस्त), मध्य प्रदेश।

विषयः– खाताधारकों द्वारा बैंक शाखाओं से नकदी आहरण के दौरान सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 21 अक्टूबर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेंस में हुई चर्चा के तारतम्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बैंक शाखाओं से नकदी आहरण के दौरान खाताधारकों द्वारा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले सवालों पर **FAQ** तैयार कर उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त **FAQ** की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त **FAQ** से सर्वसंबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

S.K. Gupta

(सतीश गुप्ता)
संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

पृ. क्र.प्राविवि / भा.यो. / संविसं / 2017 / 3566 भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
7. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी क्षेत्र के बैंक।
8. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश।
9. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, भोपाल।
10. अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त), मध्य प्रदेश

S.K. Gupta

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

ग्रामीण क्षेत्र के खाताधारकों द्वारा बैंक शाखाओं से नकदी आहरण के दौरान सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न	उत्तर
क्या बैंक खाते से नकदी आहरण पर बैंक/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का कोई प्रतिबन्ध है?	नहीं, बैंक से नकदी आहरण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
क्या खाता धारक अपने खाते से शाखा में किसी भी समय नकदी निकाल सकता है?	हाँ, बैंकिंग लेन देन के समय में किसी भी समय बैंक शाखा से नकदी निकाली जा सकती है। बैंक ए0टी0एम0, कियोस्क, बी0सी0ए0 से भी नकदी निकाली/प्राप्त की जा सकती है।
क्या नकदी आहरण के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता है?	नहीं, खाते में नकदी आहरण के लिए केवाईसी खातों में चैक/आहरण पर्ची के माध्यम से नकद राशि निकाली जा सकती है।
मैं किसान/व्यापारी हूँ और मेरा बैंक में बचत खाता है, क्या मैं किसी भी राशि का आहरण कर सकता हूँ?	हाँ, निकासी की कोई सीमा नहीं है। खाते में उपलब्ध धनराशि के आधार पर आहरण किया जा सकता है। शाखा की नकद राशि की धारण क्षमता से अधिक राशि होने पर एक दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
मैं किसान/व्यापारी हूँ और मेरा बैंक में चालू खाता है, क्या मैं चालू खाते से नकदी का आहरण कर सकता हूँ?	हाँ, ऐसी कोई सीमा नहीं है, खाते में उपलब्ध शेष अनुसार राशि का आहरण किया जा सकता है। शाखा की नकद राशि की धारण क्षमता से अधिक राशि होने पर एक दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
मैं किसान/व्यापारी हूँ और मेरा बैंक में ऋण खाता है क्या मैं अपने खाते से नकदी का आहरण कर सकता हूँ या इसमें कोई सीमा या बंदिस है?	नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बैंक की किसी भी ग्रामीण/अर्धशहरी/शहरी/महानगरीय शाखा से उपलब्ध शेष अनुसार राशि की निकासी/आहरण किया जा सकता है।
मैं विमुद्रीकरण के बाद बैंक से नकदी लेन-देन करने में भयभीत रहता हूँ क्या यह सही है?	नहीं, मनी लॉडरिंग को रोकने हेतु यह एक सतर्कता उपाय था। कोई भी व्यक्ति बैंक से सुगमता पूर्वक लेन देन कर सकता है। किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ऐसा भय निराधार है।
क्या नकदी आहरण में बैंक द्वारा कोई शुल्क लिया जाता है?	नहीं, सामान्यत: बैंक द्वारा नकदी आहरण में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
मैं एक किसान हूँ और व्यापारी हूँ मुझे व्यापारी	हाँ, आहरण हो सकता है, किसी दस्तावेज की

प्रश्न	उत्तर
एक चेक देता है क्या मुझे नकदी आहरण हो सकता है, अगर हाँ तो क्या किसी दस्तावेज की जरूरत है?	आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थिति में चेक धारक के सत्यापन हेतु वैध दस्तावेज यथा आधार/वोटर आईडी/पेन आदि की मांग कर सकता है।
क्या नकदी आहरण करते वक्त स्वयं के बैंक खाते में शाखा स्तर पर आधार सीडिंग एवं आधार ऑथॉटिकेशन जरूरी है?	भारत सरकार के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर, 2017 तक समस्त बचत एवं चालू बैंकिंग खातों में आधार सीडिंग एवं आधार ऑथेंटिकेशन आवश्यक है, आधार सीडिंग बैंकिग खातों में केवल एक ही बार किया जाना है। अतः नकदी आहरण के समय शाखा के स्टाफ सदस्य आधार सीडिंग के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि नकदी आहरण करते समय किसी कारण से आधार सीडिंग नहीं करना चाहते तो वे बाद में भी करा सकते हैं।
मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और किसी और के खाते में रुपये 50000/- से ज्यादा की राशि नकदी जमा करने जाता हूँ तो क्या किसी दस्तावेज की आवश्यकता है?	हाँ, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के खाते में में अथवा किसी अन्य के खाते में नकद राशि जमा कराई जाती हे तो बैंक द्वारा जमाकर्ता से पहचान दस्तावेज यथा आधार/वोटर आईडी/पेन आदि की मांग की जायेगी और ऐसे दस्तावेज का मूल दस्तावेज से सत्यापन किया जायेगा।
क्या नकद जमा करने पर कोई शुल्क है?	नकद जमा करने के लिए शुल्क हेतु सभी बैंकों के अपने नियम है। ग्राहक को अपनी शाखा या बैंक की बेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।
आरटीजीएस के माध्यम से खाते में पैसे जमा करवाने में कितना वक्त लगता है?	यह प्रक्रिया तुरन्त होती है एवं पैसे ग्राहक (Recipient) के खाते में कुछ मिनटो में जमा हो जाता है।
एनईएफटी में कितना वक्त लगता है?	एनईएफटी सेटलमेन्ट की प्रक्रिया हर दो घंटे में होती है, अधिकतम 24 घंटे का समय भी लग सकता है।
मुझे कैसे मालूम होगा कि व्यापारी ने खाते में पैसा भेज दिया है?	राशि भेजने पर बैंक के सिस्टम में एक यूटीआर(UTR) जेनरेट होता है। अतः यूटीआर नम्बर मांगे।